|| श्री ||

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

इन्दौर केम्प

निगरानी 903-III-15

निगरानी प्रकरण क्रमांक /14

1. **शिवराम पिता गंगाराम पाटीदार**
2. **रामेश्वर पिता छोट्या पाटीदार**

निवासी – ग्राम डालका तहसील खरगोन

... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

प्रेमचन्द्र पिता गंगाराम पाटीदार

निवासी – ग्राम डालका तहसील खरगोन

... प्रत्यर्थी

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता तर्फे सादर निवेदन है कि :–

निगरानीकर्ता द्वारा सदर निगरानी श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, खरगोन, जिला खरगोन के न्यायालय के प्र.क्रं. 6 अ–13/14–15 के पारित आदेश दिनांक 08/04/2015 से व्यथित होकर सादर प्रस्तुत है।

सदर प्रकरण में श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण में प्रत्यर्थी/आवेदक की कृषि भूमि के पूर्व दिशा में स्थित शासकीय काकड का रास्ता उपलब्ध होने एवं वही रास्ता प्रत्यर्थी/आवेदक का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 903–तीन/2015 जिला खरगौन

शिवराम आदि विरूद्ध प्रेमचन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–5–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार खरगौन जिला खरगौन के प्रकरण कमांक 6/अ–13/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 08–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ नायब तहसीलदार के आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि विचारणीय आदेश में नायब तहसीलदार ने अन्तरिम आदेश का उल्लेख किया है, परन्तु वास्तव में नायब तहसीलदार ने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 एवं 132 के तहत प्रकरण में अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। अतः आवेदक चाहे तो प्रकरण में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। उक्त परिस्थितियों में निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	